भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 5482
दिनांक 03 अप्रैल, 2025

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के स्वामित्व वाली भूमि का उपयोग

†5482. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने एचपीसीएल के स्वामित्व वाली भूमि के उपयोग के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है, यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है;
(ख) क्या सरकार ने कोल्लम के एडापल्लीकोट्टा में एचपीसीएल के स्वामित्व वाली भूमि के उपयोग के लिए जन-प्रतिनिधियों से प्राप्त प्रस्ताव की जांच की है, यदि हां, तो इस पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;
(ग) क्या सरकार ने एडापल्लीकोट्टा में एचपीसीएल के स्वामित्व वाली भूमि के संरक्षण के लिए कार्रवाई शुरू की है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) एडापल्लीकोट्टा में एचपीसीएल के स्वामित्व वाली भूमि के उपयोग हेतु एचपीसीएल की योजना का ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सरकार का विचार एडापल्लीकोट्टा में एक नया उद्यम खोलने के लिए एचपीसीएल की भूमि का उपयोग करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के स्वामित्व वाली भूमि का उपयोग करने का है और यदि हां,तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (ङ): हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) एक महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) है। यह बोर्ड द्वारा चालित वाणिज्यिक कंपनी है जो सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध है। इस प्रकृति वाली कंपनियों के रूप में इसे अपने दिन-प्रतिदिन के वाणिज्यिक निर्णय लेने में प्रचालनात्मक स्वतंत्रता प्राप्त है। एचपीसीएल ने बताया है कि एडापल्लीकोटा, केरल में इसकी भूमि के चारों तरफ चार दीवारी है और इस भू-खंड की सुरक्षा के लिए सुरक्षा कार्मिक तैनात किए गए है। एचपीसीएल ने बताया है कि वर्तमान में नए उद्यम के लिए भूमि के उपयोग हेतु कोई भी अनुमोदित योजना नहीं है।

(च): जी नहीं, चूंकि इसका निर्णय संबंधित कंपनी द्वारा लिया जाता है।

****